भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1683**

जिसका उत्तर मंगलवार, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है।

भूमि और परिसंपत्तियों की बिक्री

1683. श्री मनोज तिवारीः
श्री रेबती त्रीपुराः
डॉ. विजय कुमार दुबेः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में बीमार उर्वरक इकाइयों की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों को बेचने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्व क्षेत्र, में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) से (ग): वर्तमान में दो रुग्ण उर्वरक कंपनियां यथा मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) तथा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) क्रमश: तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में स्थित हैं। एमएफएल ने आईओसीएल की एक समूह कंपनी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) को बेचने के लिए लगभग 70 एकड़ अतिरिक्त खाली भूमि की पहचान की है। इसी प्रकार, फैक्ट ने केरल सरकार (481.79 एकड़) तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (169.689 एकड़) को बेचने के लिए कुल 651.479 एकड़ भूमि की पहचान की है। फैक्ट से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को भूमि की बिक्री हेतु लेन-देन पहले ही पूरा कर लिया गया है।

(घ): उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई रुग्ण इकाइयां नहीं हैं।

****